उत्तर-रेलवे

संख्यां: 100-टी/एस.एस.एम.यू./विविध/2025 मंडल कार्यालय

दिनांक: 06 जुलाई, 2025 नयी दिल्ली

मण्डल के सभी परिचालन अधिकारी

स्टेशन निर्देशक- नई दिल्ली, दिल्ली, हजरत निजामुद्दीन एवं आनंद विहार टर्मिनल

क्षेत्राधिकारी /तुगलकाबाद, सहायक परिचालन प्रबंधक, गाजियाबाद

दिल्ली मण्डल के सभी यातायात निरीक्षक, स्टेशन अधीक्षक

दिल्ली मण्डल के मुख्य नियंत्रक एवं सभी खण्ड के खण्ड नियंत्रक

<u>संरक्षा- ड्राइव-24/2025</u>

हाल के दिनों में, दिल्ली मंडल के कुछ स्टेशनो के बीच आपस में गाड़ियों के लाइन क्लियर लेने - देने के दौरान उचित तरीके से नियमानुसार नियमों एवं सही विधियों का पालन नहीं करने के कारण गाड़ियों के उचित क्रम (Sequence) में गड़बड़ी पाई गई जिसके कारण असामान्य घटना घटित हो सकती थी। इसके उपरांत जांच के दौरान पाया गया कि स्टेशन मास्टर के द्वारा गाड़ियों लाइन क्लियर पूछताछ की प्रक्रिया का सही तरीके से पालन नहीं कर रहे हैं। इस प्रक्रिया का सही तरीके से पालन न करने से भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है, जिससे गाड़ियों के गलत मार्ग पर जाने की संभावना बन जाती है।

अतः सभी यातायात निरीक्षकों, स्टेशन अधीक्षकों एवं स्टेशन मास्टरों को निर्देशित किया जाता है कि गाड़ी की लाइन क्लियर/पूछताछ विवरण देते समय पूरी जानकारी प्राइवेट नंबर के साथ दें। इसमें गाड़ी संख्या, गाडी का नाम, दिशा (अप/डाउन), मार्ग (Route), एवं वाया (Via) शामिल होना चाहिए। संदेह होने पर खण्ड नियंत्रक से मार्ग की पुष्टि करें।

दोनों ओर के स्टेशन मास्टर लाइन क्लियर/पूछताछ विवरण के समय गाड़ी सिगनल पंजिका में सही प्रविष्टि करें। जहाँ लॉग और पैनल स्टेशन मास्टर दोनों कार्यरत हों, लॉग स्टेशन मास्टर पैनल स्टेशन मास्टर को गाड़ी की पूरी जानकारी देंगे साथ ही गाड़ियों के सही क्रम (Sequence) का विशेष ध्यान देंगे एवं पैनल स्टेशन मास्टर को भी बताएंगे, लॉग स्टेशन मास्टर एवं पैनल स्टेशन मास्टर दोनों इस बात कि तसल्ली करेंगे कि गाड़ियों के चलाने के पहले उचित तरीके से संबंधित स्टेशन से लाइन क्लियर ले लिया गया है एवं उसी के अनुसार सही गाड़ी चलाई गई है। इस संबंध में लॉग स्टेशन मास्टर, अपने द्वारा भरे जा रहे गाड़ी सिग्नल पंजिका (Train Signal Register) में प्रविष्ट कि गई अप एवं डाउन दिशा कि गाड़ियों कि जांच करके देखेगा एवं तसल्ली करेगा कि उसके द्वारा सही एवं क्रमानुसार गाड़ी चलाई गई।

सभी खंड के यातायात निरीक्षक एवं स्टेशन अधीक्षक दिनांक 06 जुलाई 2025 से क्रमशः 15 दिनों तक अपने-अपने बीट के स्टेशनों पर गाड़ियों के उचित तरीके से लाइन क्लियर लेने-देने की विधियों की जाँच करेंगे एवं उससे सम्बंधित अनियमितताओं को दिए गए फोर्मेट में 21.07.2025 को एस.एस.एम.यू. सेल को सूचित करे.

दिनांक	स्टेशन	अनियमितता	कार्यरत कर्मचारी का नाम	की गयी कार्यवाही

मण्डल के सभी परिचालन अधिकारी अपने निरीक्षण के दौरान उपरोक्त विधियों के अनुपालन की जाँच विशेष तौर पर करेंगे।

मंडल रेल प्रबंधक/दिल्ली
अपर मंडल रेल प्रबंधक/परिचालन/दिल्ली
वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक
} आपके सादर सूचनार्थ हेतु.

06/07/2025

वरिष्ठ मण्डल परिचालन प्रबंधक/सामान्य